संख्या- 20 /2026/I/ 1233717 /2026/71-1002(002)/6/2026

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** : 10-02-2026

विषय:- मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के अतिरिक्त कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2025-26/446, दिनांक 13.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के अतिरिक्त कार्यों हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 753.73 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में देय धनराशि रू0 376.865 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के अतिरिक्त कार्यो हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 753.73 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-40-राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि से प्रश्नगत परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में **रू0 376.865 लाख (रू0 तीन करोड़ छिहात्तर लाख छियासी हजार पॉच सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है-

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रशासकीय विभाग / कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021- 10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
3. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
4. प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-2/2026/ ए-2-आई/ 1172817/2025/दस-2025, दिनांक 02-01-2026 द्वारा विभिन्न भवनों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्डपार्टी क्वालिटी आडिट (TPQA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन प्रधानाचार्य/ कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाये।
6. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट / मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक / मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. प्रार्याजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 8.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाये।
8. प्रयोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण कया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।
10. प्रायोजनान्तर्गत का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एंव भविष्य में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
12. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
14. अवमुक्त की जा रही धनराशि को बैक एंव डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
15. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
16. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग का उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
17. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग प्र0वि0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
18. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च 2026 तक कर लिया जायेगा।
19. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,76,86,500 (रुपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054000 मेडिकल कालेज, प्रयागराज **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के एफआईएनआरएमएस सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-235/दस-2025-26 दिनांक 28 जनवरी, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त (बी0एम0-9 प्रपत्र)

भवदीय,

Digitally signed by
ANAND KUMAR TRIPATHI
Date: 10-02-2026
15:58:43

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20252026-71-1002-002-6-2026

विषय:- मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के अतिरिक्त कार्यों हेतु मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	4210031054800 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)	24 (वृहत निर्माण कार्य)	38,85,00,000 रुपये अड़तीस करोड़ पचासी लाख मात्र	38,85,00,000 रुपये अड़तीस करोड़ पचासी लाख मात्र	3,76,86,500 रुपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार पाँच सौ मात्र	3,76,86,500 रुपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार पाँच सौ मात्र	35,08,13,500 रुपये पैंतीस करोड़ आठ लाख तेरह हजार पाँच सौ मात्र	2025-2026
कुल					₹ 3,76,86,500	₹ 3,76,86,500		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	4210031054000 (मेडिकल कालेज, प्रयागराज)	24 (वृहत निर्माण कार्य)	13,00,00,000 रुपये तेरह करोड़ मात्र	3,76,86,500 रुपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार पाँच सौ मात्र	3,76,86,500 रुपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार पाँच सौ मात्र	16,76,86,500 रुपये सोलह करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार पाँच सौ मात्र	2025-2026
कुल				₹ 3,76,86,500	₹ 3,76,86,500		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-48-राजकीय मेडिकल कालेज बदायूँ के मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य मद में रू0 376.865 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

अवगत कराया गया है कि मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के अतिरिक्त कार्यों के संबंध में पी०एफ०एफ०डी० द्वारा आंकलित लागत रू0 753.73 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में देय धनराशि रू0 376.865 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-255-E-3-235-X-2025-26-दिनांक: 28-01-2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(कपिल देव भारती)
अनु सचिव।

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या : / , दिनांक- फरवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20252026-71-1002-002-6-2026

विषय:- मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के अतिरिक्त कार्यों हेतु मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	4210031054800 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	38,85,00,000 रुपये अड़तीस करोड़ पचासी लाख मात्र	38,85,00,000 रुपये अड़तीस करोड़ पचासी लाख मात्र	3,76,86,500 रुपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार पाँच सौ मात्र	3,76,86,500 रुपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार पाँच सौ मात्र	35,08,13,500 रुपये पैंतीस करोड़ आठ लाख तेरह हजार पाँच सौ मात्र	2025-2026
कुल					₹ 3,76,86,500	₹ 3,76,86,500		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	4210031054000 (मेडिकल कालेज, प्रयागराज)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	13,00,00,000 रुपये तेरह करोड़ मात्र	3,76,86,500 रुपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार पाँच सौ मात्र	3,76,86,500 रुपये तीन करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार पाँच सौ मात्र	16,76,86,500 रुपये सोलह करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार पाँच सौ मात्र	2025-2026
कुल				₹ 3,76,86,500	₹ 3,76,86,500		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-48-राजकीय मेडिकल कालेज बदायूँ के मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य मद में रू0 376.865 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

अवगत कराया गया है कि मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय के अतिरिक्त कार्यों के संबंध में पी०एफ०ए०डी० द्वारा आंकलित लागत रू0 753.73 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में देय धनराशि रू0 376.865 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-255-E-3-235-X-2025-26-दिनांक: 28-01-2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(कपिल देव भारती)
अनु सचिव।

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या : / , दिनांक- फरवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।